

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

मो0 नं0- 8544426112

ई-मेल - dsobuxar1@gmail.com



फोन नं0- (06183)222335(R),222336(O)

ई-मेल - dm-buxar.bih@nic.in

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकता प्राप्त श्रेणी तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को अनुज्ञप्तिधारी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के माध्यम से निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में प्रति माह खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि बक्सर जिले के अन्तर्गत माह- मार्च, 2019 के खाद्यान्न उठाव के साथ सभी उपभोक्ताओं को ससमय खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाय, ताकि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का पूर्ण लाभ लाभुकों को उपलब्ध कराया जा सके।

माह- मार्च, 2019 में खाद्यान्न वितरण के संबंध में निम्नलिखित कार्यकारी निदेश दिये जा रहे हैं :-

1. माह- मार्च, 2019 का खाद्यान्न वितरण SIO डिस्पैच (डोर स्टेप डिलेवरी) के साथ प्रारंभ होगा तथा अलग-अलग प्रखण्डों/नगर निकायों के लिए निर्धारित अलग-अलग खाद्यान्न वितरण दिवस पर शेष बचे हुए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण राशन कार्ड के आधार पर किया जाएगा।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्विकता प्राप्त श्रेणी लाभुक परिवारों को प्रति युनिट 2.00 किलोग्राम गेहूँ 2.00 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से एवं 3.00 किलोग्राम चावल 3.00 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से कुल 5.00 किलोग्राम खाद्यान्न एक माह में तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूँ 2.00 रु0 प्रति किलोग्राम एवं 21 किलोग्राम चावल 3.00 रु0 प्रति किलोग्राम के दर से कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को निदेशित किया जाता है कि वे अपने-अपने अनुमण्डल अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के दिन सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा खाद्यान्न वितरण का प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक बक्सर जिला को भी निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रखण्डों में माह- मार्च, 2019 के खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का 5-5 जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर स्वयं जाकर जाँच करेंगे तथा विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन, आवश्यक कार्यार्थ अपने-अपने अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला अपने-अपने प्रखण्डों में किन्ही 5 पैक्सों जिन्हें जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति दी गयी है, का निरीक्षण कर खाद्यान्न वितरण कराते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सभी निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण के क्रम में यह देखेंगे कि विक्रेता से संबद्ध सभी लाभुकों को इस कार्यक्रम की जानकारी मिल गई हो, यदि किसी विक्रेता के यहाँ लाभुकों की संख्या कम देखी गई हो तो अपने विवेक से सभी लाभुकों तक जानकारी पहुँचाने हेतु प्रयास करेंगे, और माह- मार्च,

- 2019 में ससमय खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी निरीक्षी पदाधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि निरीक्षण के क्रम में दुकान का फोटोग्राफी, भण्डार की स्थिति, लाभुकों की सूची, खाद्यान्न की गुणवत्ता, माप-तौल हेतु बाट-बटखरा के स्थिति का अवलोकन करते हुए निर्धारित दर तथा निर्धारित मात्रा में किये जा रहे वितरण के संबंध में लाभुकों से बातचीत करेंगे एवं वितरण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में यथा शीघ्र अनुमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर तथा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर को निदेश दिया जाता है कि POIMS के तहत मोबाइल एप (Offline/Online) के माध्यम से भी खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया एवं PDS दुकानों की जाँच करेंगे।
 6. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न वितरण दिवस के पूर्व विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित प्रखण्ड/नगर निकाय के जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर माह- मार्च, 2019 के खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हो जाय।
 7. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस वितरण कार्यक्रम का स्थानीय लोगों, ग्रामीणों के बीच डुगडुगी पीटवा कर, माईकिंग कराकर, बैनर प्रदर्शित कर एवं मीडिया के माध्यम से अधिक-से-अधिक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
 8. इस कार्यक्रम में सभी विक्रेताओं, निरीक्षी पदाधिकारियों, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी की विशेष भूमिका है। अतः सभी व्यक्ति एवं पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये निदेश का पूर्ण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर से यदि इस कार्य में लापरवाही बरते जाने अथवा निदेशों के अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में सूचना मिली तो सभी संबंधितों के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (विदित हो कि इस योजना के अन्तर्गत बहुसंख्यक लाभुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई तथा अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्यान्न दिवस के अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों/नगर निकायों के लिए निर्धारित दिवस निम्नवत है :-

क्र०	प्रखण्ड/ नगर क्षेत्र का नाम	खाद्यान्न दिवस की निर्धारित तिथि
1	2	3
1	चौसा एवं चक्की	24.03.2019
2	राजपुर एवं केसठ	25.03.2019
3	ब्रह्मपुर एवं नावानगर	26.03.2019
4	बक्सर, बक्सर नगर परिषद एवं इटाढ़ी	27.03.2019
5	डुमराँव एवं डुमराँव नगर परिषद	28.03.2019
6	सिमरी एवं चौगाई	29.03.2019

अनुलग्नक :- जाँच प्रतिवेदन हेतु विहित प्रपत्र संलग्न।

R. Singh
22/03/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-297 आ0 बक्सर, दिनांक 23/3/2019

- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला बक्सर/सभी अंचलाधिकारी, जिला बक्सर/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/सभी आपूर्ति निरीक्षक/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Singh
22/03/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।